संख्या- 17/2024/आई/738662/तेईस-7-2024-23-7099(099)/59/2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2024

विषयः-श्रीमती रेखा केसरवानी, से0नि0, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1894व्यख/691व्यख/चि0प्र0/2018, दिनांक 21.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के निहित प्राविधानों के अंतर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अंतर्गत श्रीमती रेखा केसरवानी, से0नि0, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के जिविशा मेडिकल सेन्टर, गोमती नगर, लखनऊ में दिनांक 12.03.2024 से 29.03.2024 तक भर्ती रहकर एवं दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 15.04.2024 तक बिना भर्ती रहकर डा0 अमित त्यागी,जिविशा मेडिकल सेन्टर, गोमती नगर, लखनऊ से कराये गये उपचार पर कुल व्यय धनराशि रू0 7,01,124/- (रूपये सात लाख एक हजार एक सौ चौबीस मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 6,33,314/- (रूपये छः लाख तैतीस हजार तीन सौ चौदह मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाये की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त चिकित्सा दावे से संबंधित बिल/बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित बिलों का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है और यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित कर लिया जाये।

3- उपर्युक्त व्याय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक''2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-01-सिविल-800 अन्य-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-अन्य व्यय'' के मद के नामे डाला जायेगा।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 17/2024/आई/738662/तेईस-7-2024-23-7099(099)/59/2024 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्तख नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- वैयक्तिक सहायक(मि0),कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, व्यनवस्था9पन 'ख' वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6- श्रीमती रेखा केसरवानी, से0नि0, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ताय, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।